न्यायालय सहायक जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या / 2019 / 94

1. नान्छी लाल पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण उम्र 45 वर्ष
2. मुकेश पुत्र स्व0 बाबू लाल उम्र 30 वर्ष
3. गणेश पुत्र स्व0 बाबू लाल उम्र 25 वर्ष

   जाति जांगिड ब्राह्मण निवासीगण ग्राम बडी का खेडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र स्व0 चन्दा
2. भैरू राम पुत्र स्व0 चन्दा

   जाति जाट निवासीगण गरेडो की ढाणी, बेगस रोड, बगरू, तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0
3. नारायण पुत्र स्व0 चन्दा
4. भगवान पुत्र स्व0 चन्दा
5. सीताराम पुत्र स्व0 छोटू व पौत्र स्व0 चन्दा

   जाति जाट निवासीगण ग्राम महलां, तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर राज0
6. बजरंग लाल शर्मा पुत्र पूरण मल शर्मा

   जाति बागडा ब्राह्मण, निवासी 2, बजरंग कुंज, बरवाडा हाउस, अजमेर रोड, जयपुर, राज0
7. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, उप तहसील बगरू, जिला जयपुर राज0

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188

राजस्थान काश्तकार अधिनियम–1955

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal

Date: 2021.12.27 12:40:02 IST

Reason: SelfAttested

दिनांक: 09.11.2021

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा इस आशय का ... कि वादीगण ... काबिज खातेदार प्रतिवादी के पूर्वज स्व0 लक्ष्मीनारायण के ... स्व0 नानू जाति जाट निवासी संख्या 01 लगायत 05 के पूर्वज स्व0 चन्दा पुत्र ... जयपुर से उक्त कब्जे काश्त एवं बडी का खेडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से उक्त कब्जे काश्त एवं

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 357 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा वाकै ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमी कलां, भू0अभि0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल तहसील बगरू जिला जयपुर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीबद्व दिनांक 30.04.1980 को पूर्व खातेदार चन्दा के 2/3 हिस्से में से पूर्वी साईड का 1/17 हिस्सा कुल मुबलिक राशि 1499/– रूपये अक्षरे एक हजार चार सौ निन्यावें रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात् वादीगण के पूर्वज स्व0 लक्ष्मीनारायण ने आवासीय तामीरात करवाकर निरन्तर रहवास करने लग गये जिस तामीरात में वादीगण वर्तमान में रहवास करते आ रहे है। वाकै ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमी कलां, भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल तहसील बगरू जिला जयपुर विवादित खातेदारी की भूमि पुराना खसरा संख्या 357 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा जिसके सेटलमेन्ट के दौरान नये खसरा नंबर 715 रकबा 0.61 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 716 रकबा 0.04 हैक्टेयर बने। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 के पूर्वज चन्दा पुत्र नानू के द्वारा पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 06.07.1994 को उपं पंजीयक, सांगानेर, जिला जयपुर में खसरा नंबर 715 व 716 में अपने हिस्से 2/3 की सम्पूर्ण खातेदारी की भूमि प्रतिवादी संख्या 06 को विक्रय कर दी। जिसका नामान्तकरण संख्या 12 दिनांक 15.04.1995 को राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हो गया। उक्त विवादित भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 के पूर्वज चन्दा पुत्र नानू द्वारा अपने हिस्से 2/3 हिस्से में से 1/17 हिस्सा भूमि पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 30.04.1980 को वादीगण के पूर्वज लक्ष्मीनारायण को बेचान कर दिया। इसके बाद वादीगण के हिस्से की भूमि को पुनः प्रतिवादी संख्या 06 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 05 के पूर्वज चन्दा ने बेचान कर दी, जो कि प्रारम्भ से ही वादीगण के हिस्से की भूमि का बेचान शून्य है। उक्त विवादित भूमि के खाता संख्या (नया) 92 (पुराना) 86 के खसरा संख्या 715 रकबा 0.59 हैक्टेयर एवं खाता संख्या (नया) 91 (पुराना) 85 के खसरा संख्या 716 रकबा 0.0364 हैक्टेयर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। उक्त विवादित भूमि का जिसे दिन से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र हुआ उस दिन से आज तक भूमि पर वादीगण काबिज हैं तथा उनका कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजीयात का प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 06 के गलत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र होकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 06 एवं प्रतिवादी संख्या 06 के पारिवारिक सदस्यगणो ने अपने साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:40:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

4–5 व्यक्तियों को लेकर दिनांक 08.12.2019 को मौके पर आया एवं एलानिया धमकी दी कि उक्त जमीन को हमने क्रय कर लिया है जिसे उक्त विवादित जमीन के हम मालिक हो गये है जिस कारण अब उक्त जमीन का कब्जा खाली करवाकर प्राप्त कर लेगें। इसलिए वादीगण को अपने अधिकारों की घोषणा का वाद लाना आवश्यक हुआ।

अन्तः में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जाकर वादीगण का विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण का 1/17 हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकारी है। व प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से आई भूमि पर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल विक्रय पत्र सत्यप्रति, नकल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल सत्यप्रति, नकल नामान्तकरण सत्यप्रति, नकल हाल जमाबंदी व नक्शा सत्यप्रति पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। नोटिस अदम तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। वाद में वादीगण की ओर से से साक्ष्य शपथ पत्र नान्छीलाल पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण का पेश किया गया। वादपत्र पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2038 से 2041 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 357 रकबा 2 बीघा 13 में चन्दा पुत्र नानू कौम जाट का हिस्सा 2/3 अंकित है। व विक्रय–पत्र दिनांक 27.03.1980 से स्पष्ट है कि साबिक खसरा नंबर 357 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा में से चन्दा पुत्र नानू कौम जाट ने अपने हिस्से 2/3 में से 1/17 हिस्सा वादीगण के पूर्वज लक्ष्मीनारायण पुत्र रूगनाथ जाति जांगिड ब्राहमण को विक्रय कर दी। मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है [illegible] खसरा नंबर 357 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा से सेटलमेन्ट के दौरान [illegible] खसरा नंबर 715 रकबा 0.61 हैक्टेयर व 716 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर कायम किए गए। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी (खतौनी) दिनांक 9 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 से भी स्पष्ट है

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:40:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नंबर 715 रकबा 0.61 है0 व 716 रकबा 0.04 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर में चन्दा पुत्र नानू कौम जाट का हिस्सा 2/3 अंकित है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी कुल किता 0.65 हैक्टेयर में से 2/3 हिस्से में से 1/17 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 27.03.1980 को क्रय किया है। व साक्ष्य से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर क्रय दिनांक से वादीगण काबिज है। लेकिन चन्दा द्वारा वादग्रस्त आराजी को दिनांक 06.07.1994 को पुनः प्रतिवादी संख्या 6 को भूमि खसरा नंबर 715 व 716 कुल किता 0.65 हैक्टेयर में अपना सम्पूर्ण हिस्सा 2/3 बेचान कर दी। जिसमें वादीगण की 2/3 हिस्से में 1/17 हिस्सा शामिल है। ऐसे में चन्दा द्वारा पुनः प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय की गई भूमि वादीगण के हिस्से तक शून्य है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 715 रकबा 0.61 हैक्टेयर व 716 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर वाकै ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में सम्पूर्ण में 2/3 हिस्से में से 1/17 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 715, 716 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर में 2/3 हिस्से में से 1/17 हिस्से में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद किया जावें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:40:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–।** **(आर.ए.एस.)**

नान्छीलाल **बनाम** कानाराम वगै.

दावा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188

राजस्थान काश्तकार अधिनियम–1955

मुकदमा नम्बर – दावा/2019/94

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती सुमन देवी व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 715 रकबा 0.61 हैक्टेयर व 716 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर वाकै ग्राम बडी का खेडा, पटवार हल्का दहमीकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में सम्पूर्ण में 2/3 हिस्से में से 1/17 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादीगण को घोषित किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 715, 716 कुल किता 2 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर में 2/3 हिस्से में से 1/17 हिस्से में वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावें।इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत् .....

..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.09.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

सहायक कलक्टर

ओहदा ..... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमि		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजर		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:40:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner